उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल

रिट पिटीशन संख्या 3677 (एम.एस) वर्ष 2018

सुभाष अरोरा.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य.....प्रत्यर्थीगण

सहित

रिट पिटीशन संख्या 3678 (एम.एस) वर्ष 2018

हिमांशु गुप्ता.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ व अन्य.....प्रत्यर्थीगण

अधिवक्तागणः
याचिकाकर्ता की ओर से– श्री अरविन्द वशिष्ट एवं श्री तरूण पाण्डेय
प्रत्यर्थीगण की ओर– श्री संजय भट्ट

एस0एन0 बाबुलकर, महाधिवक्ता, वी0के0 जेमनी सहायक महाधिवक्ता तथा आर0एस0 सम्मल अधिवक्ता।

प्रत्यर्थीगण की ओर से– आर0एस0 सम्मल, लोकेन्द्र डोभाल अधिवक्तागण तथा एस0एन0 बाबुलकर, महाधिवक्ता, वी0के0 जेमनी सहायक महाधिवक्ता।

माननीय लोकपाल सिंह जे.

1. चूंकि दोनों ही रिट याचिकाओं से सम्बन्धित विवाद एक समान हैं इसलिये संक्षिप्तता की दृष्टि से इस निर्णय व आदेश के माध्यम से इनका संयुक्त रूप से एक साथ निस्तारण किया जा रहा है।

2. दोनों ही रिट याचिकाएं निम्न अनुतोष की याचना के साथ योजित की गयी हैं–

i. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा याचिकाकर्ता की अयोग्यता को परमादेश रिट या किसी अन्य प्रकृति की रिट या दिशा–निर्देश निर्गत करते हुए मनमाना व गैर कानूनी घोषित कर दिया जाए।

ii. वैकल्पिक रूप से वर्तमान मामले के विशिष्ट तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विलम्ब माफी योजना 2018 के लाभ का विस्तार कर परमादेश रिट या किसी अन्य प्रकृति की रिट या दिशा–निर्देश निर्गत कर दिये जायें जिससे कि याचिकाकर्ता इस योजना का अनुपालन व इसमें अन्तर्निहित लाभ को पाने हेतु सामर्थ्यवान हो सके।

iii. परमादेश रिट या किसी अन्य प्रकृति की रिट या दिशा–निर्देश निर्गत करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को आदेशित कर दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164 के अन्तर्गत ''अयोग्य निदेशक'' न मानते हुए अपने अभिलेखों में याचिकाकर्ता के अयोग्य निदेशक के दर्जे में बदलाव कर दे।

iv. परमादेश रिट या किसी अन्य प्रकृति की रिट या दिशा–निर्देश निर्गत करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को आदेशित कर दिया जाये कि वह याचिकाकर्ता के निदेशक पहचान संख्या और डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र को प्रभावशील कर दें जिससे याचिकाकर्ताओं को निदेशक के रूप

में कार्य करने और प्रतिवादी संख्या 3 की कम्पनी की ओर से तथा इसके अलावा अन्य सभी कम्पनियों की ओर से जिनमें याचिकाकर्ता निदेशक के रूप में काम करते हैं, दस्तावेज और रिर्टन दाखिल करने हेतु सक्षम किया जा सके।

3. याचिकाकर्ताओं के द्वारा दावा किया गया है वे प्रतिवादी संख्या 3 की कम्पनी एमेनिटी स्पोर्ट्स एकेडमी प्राईवेट लिमिटेड डी1 व डी2 रूद्रपुर उधम सिंह नगर के निदेशक हैं।

4. प्रतिवादी संख्या 3 की कम्पनी के निदेशक होने के नाते याचिकाकर्ता कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 164(2) में अर्न्तनिहित प्रावधानों के अन्तर्गत कम्पनी के कारबार के सम्बन्ध में वाषिर्क रिर्टन व वित्तीय विवरण अपलोड नहीं कर सके। याचिकाकर्ताओं को किसी दस्तावेज को प्रमाणित करने या दाखिल करने या कम्पनी के कारबार के सम्बन्ध में कोई अनुपालन करने से अक्षम करते हुए उनकी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) तथा डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) अक्षम किया जा चुका है।

5. निदेशक की नियुक्ति के लिये अयोग्यता को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के अन्तर्गत परिभाषित किया गया है। वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता किसी भी पुर्ननियुक्ति की मांग नहीं कर रहे हैं बल्कि वे इस न्यायालय के समक्ष इस प्रार्थना के साथ आये हैं कि प्रतिवादी संख्या 1 और 2 को निर्देशित किया जाए कि वह उन्हें अधिनियम की धारा 164 के अन्तर्गत ''अयोगय निदेशक'' न माने।

6. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) (अधिनियम संख्या 1 वर्ष 2018 दिनांकित 3 जनवरी 2018 द्वारा संशोधित) को सुविधा के लिये यहां नीचे उद्धृत किया गया है–

164. निदेशक की नियुक्ति के लिये अयोग्यताएं–(1) एक व्यक्ति किसी कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, यदि–

(क) वह अस्वस्थ दिमाग का है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया है,

(ख) वह अनुन्मोचित दिवालिया है,

(ग) उसने दिवालिया घोषित होने के लिये आवेदन किया है और उसका आवेदन लंबित है,

(घ) उसे किसी भी अपराध के लिये अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, चाहे नैतिक अधमता शामिल हो या अन्यथा, और उसके संबंध में कम से कम छः महीने के करावास की सजा सुनाई गयी हो और पांच साल की अवधि समाप्त होने की तारीख से समाप्त नहीं हुई हो

बशर्ते कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है और उसके संबंध में सात साल या उससे अधिक की अवधि के लिये कारावास की सजा सुनाई गयी है, तो वह किसी भी कम्पनी में निदेशक के रूप में नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।

(ड.) एक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिये उसे अयोग्य ठहराने वाला एक आदेश न्यायालय या ट्रिब्यूनल द्वारा पारित किया गया है और आदेश लागू है,

(च) उसने कम्पनी के किसी भी शेयर के सम्बन्ध में किसी भी कॉल का भुगतान नहीं किया है, चाहे अकेले या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से, और कॉल के भुगतान के लिये निर्धारित अंतिम दिन से छह महीने बीत चुके हैं,

(छ) वह पिछले पांच वर्षों के दौरान किसी भी समय धारा 188 के तहत संबंधित पार्टी के लेनदेन से सम्बन्धित अपराध के लिये दोषी ठहराया गया है या,

(ज) उसने धारा 152 की उपधारा (3) का अनुपालन नहीं किया है

(2) कोई व्यक्ति जो किसी कम्पनी का निदेश है या रह चुका है जो–

(क) तीन वित्तीय वर्षों की सिकी भी निरंतर अवधि के लिये वित्तीय विवरण या वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया है या

(ख) उसके द्वारा स्वीकार किये गये जमा को चुकाने या उस पर ब्याज का भुगतान करने या देय तिथि पर किसी डिबेंचर को भुनाने या उस पर देय ब्याज का भुगतान करने या किसी घोषित लाभांश का भुगतान करने में विफल रहा है और भुगतान या रिडीम करने में ऐसी विफलता एक वर्ष या उससे अधिक समय तक जारी रहती है,

उस कम्पनी के निदेशक के रूप में फिर से नियुक्त होने या किसी अन्य कम्पनी में नियुक्त होने के पात्र होंगे, उस तारीख से पांच साल की अवधि के लिये जिस पर उक्त कम्पनी ऐसा करने में विफल रहती है।

बशर्ते कि जहां एक व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया जाता है निदेशक एक का कम्पनी जो खंड (क) या खंड (ख) के डिफॉल्ट में है, वह अपनी नियुक्ति की तारीख से छह महीने की अवधि के लिये अयोग्य नहीं होगा।

(3) एक निजी कम्पनी अपने लेखों द्वारा उपधाराओं (1) और (2) में निर्दिष्ट के अलावा निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिये किसी भी अयोग्यता के लिये प्रदान कर सकती है,

बशर्ते कि उपधारा (1) के खंड (घ), (ड़) और (च) में निर्दिष्ट अयोग्यताएं लागू रहेंगी भले ही सजा या अयोग्यता के आदेश के खिलाफ अपील या याचिका दायर की गयी हो।

7. याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क प्रस्तुत किये गये कि चूंकि याचिकाकर्ताओं का डीआईएन और डीएससी बंद किया जा चुका है इसलिये याचिकाकर्ता जो कि प्रत्यर्थी संख्या 3 की कम्पनी के वार्षिक रिटर्न तथा वित्तीय विवरणों से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण

को प्रस्तुत करने के लिये तैयार हैं, इन्हें विहित समयावधि में दाखिल करने में असक्षम थे।

8. प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री संजय भट्ट के द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये कि वार्षिक रिर्टन व वित्तीय विवरणों को ऑफलाईन प्रस्तुत किये जाने का कोई भी प्रावधान नहीं है।

9. यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को उपचारहीन न रखा जाये। चूंकि याचिकाकर्ताओं के पास कोई भी उपचार उपलब्ध नहीं है, इसलिये विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को दृष्टिगत रखते हुए याचिकाकर्ता केवल इस कारण से समयान्तर्गत अपना वार्षिक रिर्टन और वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं कर सके कि उन्हें निदेशक पद से पूरी तरह से वंचित कर दिया गया है और उन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है।

10. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों पर विचार करने के पश्चात् परमादेश रिट जारी की जाती है कि वह प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को निर्देशित किया जाता है कि वह याचिकाकर्ताओं की निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) को प्रभावशील कर दें और उन्हें 15 दिवस की अवधि के भीतर वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण अपलोड करने की अनुमति दे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 की कम्पनी के निदेशक के रूप में याचिकाकर्ताओं की अयोग्यता को आज की तिथि से 15 दिवस की अवधि के लिये अस्थगित रखा जायेगा, वशर्ते याचिकाकर्ता कॉपरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के समक्ष उनके निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) और डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) को संचालित करने की याचना के साथ शपथपत्र द्वारा विधिवत समर्थित आवेदनों को अलग से प्रस्तुत करें। यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपना सम्पूर्ण वार्षिक रिटर्न और वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में

असफल रहते हैं तब उन्हें प्रत्यर्थी संख्या 3 की कम्पनी के निदेशक के रूप में कार्य करने से रोकने वाला प्रश्नगत आदेश पुनर्जीवित समझा जायेगा।

11. तद्नुसार दोनों रिट याचिकाओं व सभी लम्बित प्रार्थनापत्रों का निस्तारण किया जाता है।

12. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्तागण को आदेश की प्रमाणित प्रति सामान्य शुल्क के भुगतान पर आज ही प्रदान की जाए।

(लोकपाल सिंह जे.)

दिनांकित 19 दिसम्बर, 2018

नेगी